



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 माघ 1945 (श10)

(सं0 पटना 67) पटना, मंगलवार, 23 जनवरी 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

23 जनवरी 2024

एस०ओ० 60 दिनांक 23 जनवरी 2024—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचनाओं बिहार गजट असाधारण अंक में प्रकाशित संख्या 348, दिनांक 09 जून, 2020, संख्या 564, दिनांक 01 जुलाई, 2021, संख्या 634, दिनांक 29 अगस्त, 2022 तथा संख्या 416, दिनांक 17 मई, 2023, के आंशिक संशोधन में, परिषद की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करते हैं, अर्थात् :-

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 30 अप्रैल, 2024 तक ;
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 31 अगस्त, 2024 तक ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-16) 331)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

23 जनवरी 2024

एस०ओ० 60, दिनांक 23 जनवरी 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-16) 331)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 23rd January 2023

S.O. 60, Dated 23rd January 2024—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), (hereinafter referred to as the said Act) and in partial modification of the notifications of the Commercial Taxes Department published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 348, dated the 09th June 2020, vide number 564, dated the 01st July 2021, vide number 634, dated the 29th August 2022 and vide number 416, dated the 17th May 2023, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby, extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, relating to the period as specified below, namely:—

- (i) for the financial year 2018-19, upto the 30th day of April, 2024;
- (ii) for the financial year 2019-20, up to the 31st day of August, 2024.

[(File No. Bikrikar/GST/vividh-21/2017 (Part-16) 331)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 67-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>